<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

रिट याचिका (एस/एस) संख्या 676 वर्ष 2021

अनिल कुमार ....याचिकाकर्त्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

अधिवक्तागणः याचिकाकर्ता की ओर से श्री दीप जोशी,
राज्य की ओर से श्री पी.एस. बिष्ट,अतिरिक्त, सीएससी,
प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से श्री पीयूष गर्ग, अधिवक्ता।

<u>माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.</u>
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका आदेश संख्या 235 दिनांकित 03.06.2021 के विरुद्ध दायर की है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि मानो उसकी सेवाएं रुद्रप्रयाग से उखीमठ में स्थानांतरित कर दी गई हैं। वास्तव में, रिट याचिका की दलीलों में जो प्रतिबिम्ब दिया गया है, वह इस प्रकार है कि मानों याचिकाकर्ता के साथ 2017 में जो दुर्घटना घटी थी, उससे उबरने के बाद उसे पहली बार दिनांक 26.05.2021 के आदेश द्वारा रुद्रप्रयाग कार्यालय में अटैच किया गया था और उसके कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर, दिनांक 03.06.2021 के आदेश के आधार पर, उसे ऊखीमठ में कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया।

2. वर्तमान मामला ऐसा नहीं है, क्योकि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया और उसने इस न्यायालय का ध्यान उस आक्षेपित आदेश की ओर आकर्षित किया है, जो स्थानांतरण के मुख्य आदेश अर्थात आदेश संख्या 837 दिनांकित 03.06.2021, को संदर्भित करता है, जिसके आधार पर, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग के अनुसार, लगभग 8 कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया।

3. यह आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन नहीं है, और याचिकाकर्ता द्वारा जो धारणा बनाई गई थी, वह ऐसी थी, जैसे कि यह 2017

में याचिकाकर्ता के साथ हुई दुर्घटना के बाद का अटैचमेन्ट/स्थानान्तरण हो, जो पहली बार की गई थी। परन्तु यह अभिलेखों के विपरीत है।

4. मामले के उस दृष्टिकोण में, इस प्रकार के वादी के प्रति कोई सांत्वना या समानता नहीं दिखाई जा सकती है, जो न्यायालय के समक्ष साफ–सुथरे हाथों से नहीं आते और जानबुझकर विकृत या भ्रामक दलीलों के साथ मामले में आते हैं, जिनका सीधा प्रभाव मामले पर पडता है।

5. उपरोक्त अवधारणा, कि कार्यवाही का एक पक्षकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, को उन सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखना होगा, जो मामले या किसी भी कारक या तथ्य को निर्णीत करने के प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण हैं, जो उन निर्णयों जिन्हे पारित किये जाने की सम्भावना है, को प्रभावित कर सकते है, कानून उन सभी उपरोक्त तथ्यों को अभिलेखों पर रखने का एक अनिवार्य कर्तव्य वादी पर डालता है। किसी तथ्य को छुपाने या किसी तथ्य को इस प्रकार से रखना की कोई आदेश अपने पक्ष में करा सके, उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों मे इस बात की निंदा की गई है, जिसमें से एक निर्णय पूर्ण पीठ द्वारा प्रतिपादित **ए.आई.आर. (38) 1951, इलाहाबाद 746, एशियाटिक इंजीनियरिंग कंपनी बनाम अचरूराम एवं अन्य** है। कथित निर्णय के पैरा 51 में उपरोक्त सिद्धांत निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है–

''51. हमारी राय में, हितकारी सिद्धांत जो उपरोक्त उद्धृत मामलों में निर्धारित किया गया। उसे हमारे देश में न्यायालयों द्वारा उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए जब पार्टियां संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को दी गई असाधारण शक्तियों की सहायता मांगती हैं। अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों के प्रयोग के लिए याचिका के माध्यम से एक पक्षीय आदेश या नियम निसी प्राप्त करने वाला व्यक्ति को साफ–सुथरे हाथों से आना चाहिए, न्यायालय से किसी भी प्रासंगिक तथ्य को नहीं छिपाना चाहिए, भ्रामक बयान देने और न्यायालय को गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। अदालतों को अपनी सुरक्षा के लिए इस बात पर जोर देना चाहिए कि इन असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को किसी भी तरह से तथ्यों को दबाकर, गलत बयानी या गलत बयानी करके एकतरफा आदेश प्राप्त करके इस मूल्यवान अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत को पूर्व भेजे गए मामले में लागू करते हुए, हमें लगता है कि, इस मामले में, **याचिकाकर्ता कंपनी ने भौतिक दमन, गलत बयानी और भ्रामक बयानों द्वारा निषेध की रिट मांगने के लिए खुद को अयोग्य कर दिया है, जो हमें ऊपर मिला है।** दो अलग–अलग कार्यवाही लंबित थीं। याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही का एक सेट नोटिस दिनांकित 3–1–1950. द्वारा ही शुरू किया गया था। शेयरधारकों और निदेशकों के निवास, याचिकाकर्ता कंपनी के व्यवसाय के स्थानों और हिंदू शेयरधारकों के संख्यात्मक बहुमत के बारे में दमन और गलतबयानी करने से स्पष्ट रूप से न्यायालय को यह आभास देने के लिए निर्देशित किया गया

था कि याचिकाकर्ता कंपनी को संभवतः रोका नहीं जा सकता है।डिप्टी कस्टोडियन (न्यायिक) के खिलाफ व्यक्तिगत हित और दुर्भावना के आरोप बिना किसी आधार के लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य न्यायालय को इस तर्क पर निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रेरित करना था, कि एक न्यायिक अधिकारी जो दुर्भावना से काम कर रहा है या जिसकी मामले में व्यक्तिगत रुचि है, उसे अपने समक्ष विवाद की कार्यवाही से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कार्यवाहियों का दूसरा सेट शेयरधारकों के विरुद्ध था और इन कार्यवाहियों में भी, कस्टोडियन ने तर्क दिया कि कंपनी की संपत्ति के खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं क्योंकि कुछ शेयरधारक बेदखल हो गए हैं। इस तर्क को पूरा करने के उद्देश्य से शेयरधारकों के निवास के बारे में गलतबयानी भी की गई। स्पष्ट रूप से, यह एक स्पष्ट मामला है, जहां हमारे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर, याचिकाकर्ता कंपनी, **जिसने वास्तव में इस न्यायालय की एक पीठ से एक नियम निसी प्राप्त किया था, को योग्यता के आधार पर सुनवाई के बिना न्यायालय से बाहर भेज दिया जाना चाहिए।** याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से कस्टोडियन के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का एकमात्र आधार, जो कि अधिकार क्षेत्र की पेटेंट कमी का सवाल उठाने वाला कहा जा सकता है, इस तर्क से संबंधित हैं कि निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम स्वयं विधायिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (एफ) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इन बिंदुओं पर हम बाद में विचार करेंगे।''

6. एक ओर न्यायदृष्टान्त, **ए0आई0आर0 1970 पंजाब और हरियाणा 379, जय सिंह राठी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य,** जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया था, में भी न्यायालय की जानकारी में लाए जाने वाले भौतिक तथ्यों को दबाने से निर्णय लेने की प्रक्रिया और न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लगभग समान सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। उक्त निर्णय के पैरा 20 में निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत हैः –

''20. श्री नांबियार द्वारा यह बताया गया, कि अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने 4 और 5 फरवरी, 1969 को अपने आचरण के हिस्से को पूरी तरह से दबा दिया है, जिसमें उन्होंने लगातार अवज्ञा की और अध्यक्ष की अवज्ञा की और उनका आचरण ऐसा नहीं था जो कम से कम, सदन में व्यवस्थित हो, उन्होंने इस तथ्य को भी दबा दिया, कि बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने बहिर्गमन किया और बजट अनुमानों की स्वीकृति, धन अनुदान और विनियोग बिल के पारित होने के संबंध में सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। उन्होंने रेक्स बनाम केंसिंग्टन आयकर आयुक्तों (1917) 1 केबी 486, पृष्ठ 495 के मामले में, विस्काउंट रीडिंग सी0जे0 के इस अवलोकन का उल्लेख किया, ''जहां किसी नियम निसी या अन्य प्रक्रिया के लिए इस न्यायालय में एक पक्षीय आवेदन किया गया है, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है **कि आवेदन के समर्थन में हलफनामा स्पष्ट नहीं था और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन उन्हें इस तरह से दिखाया गया जिससे सही तथ्यों के बारे में**

न्यायालय को गुमराह किया जा सके, तो न्यायालय को अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, गुणों की जांच के साथ आगे बढ़ने से इनकार करना चाहिए। यह न्यायालय में एक निहित शक्ति है। लेकिन वह जिसका उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जो न्यायालय के मन में यह विश्वास दिलाते हैं कि उसे धोखा दिया गया है।'' इस विचार पर भी, जहां तक अनुच्छेद 226 का सम्बन्ध है, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के विवेक का प्रयोग अपने पक्ष में करने के हकदार नहीं हैं।''

7. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी **2007 ए0आई0आर0 एससीडब्ल्यू 5350, मेसर्स प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक** में एक निर्णय या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में शासी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जिन्ह न्यायालय के संज्ञान में लाए जाने वाले भौतिक तथ्यों को दबाने के आधार पर हासिल करने का प्रयास किया गया है। जिसका असर फैसले पर पड़ सकता है। उक्त निर्णय के पैरा 32, 34 और 35 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो निम्नवत हैं: –

''32. इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि अत्यधिक अपीलकर्ता–कम्पनी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसने न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से उजागर नहीं किया था। उच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन और विशिष्ट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, कानून का न्यायालय समानता का न्यायालय भी है। **इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि जब कोई पक्ष उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सभी तथ्य न्यायालय के समक्ष रखने चाहिए। यदि आवेदक की ओर से महत्वपूर्ण तथ्यो को छिपाया गया है या तथ्य तोड़–मरोड़ कर कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं, तो रिट न्यायालय याचिका लेने से मना कर सकता है तथा उसे गुण–दोष पर विचार किये बिना अस्वीकार कर सकते हैं।**

34. यह सुस्थापित है, कि स्वामित्व प्राप्त उपाय कोई स्वाभाविक बात नहीं है। **इसलिए, एक रिट कोर्ट असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते समय, वास्तव में उस पक्ष के आचरण पर ध्यान केंद्रित करता है जो इस तरह के क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है। यदि आवेदक पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करता है या सुसंगत तथ्यों को छिपाता है या फिर न्यायालय को गुमराह करने का दोषी है, तो न्यायालय कार्यवाही को बिना निर्णय लिए ही खारिज किया जा सकता है।** यह नियम सार्वजनिक रूप से बेईमान वादीगण को कोर्ट के साथ धोखाधड़ी कर उसकी प्रकिया का दरूपयोग करने से रोकने के लिए विकसित किया गया है। रीट क्षेत्र का मूल आधार सत्य, पूर्ण और सही तथ्य का खुलासा करना है। यदि भौतिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है या छिपाया गया है या अलग कर दिया गया है, तो रिट न्यायालयों की मुख्य कार्यवाही असम्भव हो जायेगी।

35. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता–कंपनी द्वारा कई हकीकतों को छुपाया गया था। प्रतिवादी–बैंक को कानूनी और वैध देय राशि, जिसका वह अन्यथा हकदार था, को प्राप्त करने से रोकने के लिए मिलीभगतपूर्ण कार्यवाही की गई। कंपनी ने कभी यह खुलासा नहीं किया, कि उसने बैंक के पास गिरीवी प्रॉपर्टी में तीसरे पक्ष का हित निर्मित किया हैं। प्रतिवादी–बैंक को सूचित किय बिना ही उसने मशनरी एवं सामग्री को भी स्थानांतरित कर दिया, जिससे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंक के पास गिरवी संपत्ति पर उसने किरायेदारी या तीसरे पक्ष का अधिकार निर्मित कर दिया। ये सभी आरोप तब सुसंगत हैं जब ऐसा याचिकाकर्त्ता न्यायालय के समक्ष आया और विवेकाधीनता और न्यायसंगत राहत के लिए प्रार्थना की। हमारे निर्णय में, प्रतिवादी–बैंक की ओर से अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय से किसी भी असाधारण उपाय को तथा इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय से समानता के उपाय को प्राप्त करने के लिये योग्य नही है। जिस पक्ष के हाथ गंदे हो, वह न्यायालय की रिट को प्राप्त नही कर सकता। इसलिए, हमारा मानना है, कि अपीलकर्ता–कंपनी को राहत देने से इनकार करने पर उच्च न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है।''

8. चूंकि वर्तमान मामले में, अभिलेख से पता चलता है, कि 2017 में याचिकाकर्ता के साथ हुई कथित दुर्घटना के बाद, याचिका कर्ता ने बहुत पहले ही अपनी सेवाएं वापस ग्रहण कर ली थी और 26.05.2021 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देते समय यह प्रतिबिम्ब दिया गया था, मानो याचिकाकर्ता के चोटों से उबरने के बाद, जो उसे एक दुर्घटना के कारण लगी थी, यह उसकी पहली ज्वाइनिंग थी। वास्तव में, यह एक विकृत दलील थी, जो याचिकाकर्ता द्वारा अपने पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए की गयी थी। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के प्रकाश में इन तर्कों और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

9. चूँकि यह तर्क दिया गया है, कि स्थानांतरण के मुख्य आदेश में यह कारण शामिल है, कि स्थानांतरण कुछ शिकायतों, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राप्त हुई, के कारण किया गया हैं, उसे उखीमठ में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस न्यायालय का मत है, कि यह रिट याचिका इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है, कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय की जानकारी में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है।

10. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
21.06.2021